प्रेस विज्ञप्ति
18.02.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स व अन्य से जुड़े धन-शोधन मामले में, धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत, अनी समूह की कम्पनियों की **7.30 करोड़ रुपये मूल्य** की 3 अचल और 1 चल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। उक्त अचल संपत्तियाँ अनी समूह की कम्पनियों में से एक अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर लखनऊ, दिल्ली व उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित ज़मीनों व भवनों के रूप में हैं तथा चल संपत्ति सावधि जमा के रूप में है।

ईडी ने उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा अजीत कुमार गुप्ता व अन्य विभिन्न व्यक्तियों व संस्थाओं के विरुद्ध आम लोगों के साथ अलग-अलग धोखाधड़ी वाली योजनाओं में निवेश करने का लालच देकर उनसे उनके निवेश किए गए पैसे ठगने के इरादे से 110 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में दर्ज की गई विभिन्न एफआईआर व शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच में पता चला कि निवेशकों से एकत्र किया गया धन अजीत कुमार गुप्ता के नियंत्रण वाली 'अनी ग्रुप' की विभिन्न कंपनियों और मेसर्स आई विजन क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी नामक एक संस्था के प्लेटफॉर्म के ज़रिए लेयर किया गया व घुमाया गया तथा उक्त समूह की अनी बुलियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अलग-अलग संपत्तियाँ खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया था।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में पहले, ईडी ने अजीत कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी श्रीमती नीहारिका सिंह, आईएफएस व अनी समूह की कम्पनियों द्वारा अर्जित **9.1 करोड़ रुपये** मूल्य की चल और अचल संपत्तियों को 2023 में अनंतिम रूप से कुर्क किया था। इस मामले में अब तक अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्तियों की कुल कीमत **16.4 करोड़ रुपये** है।

आगे की जांच जारी है।